

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक / /2020

क्रमांक एफ 16-10/2019/पी-2/31 जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा में श्री डी.एल.वर्मा, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा, श्री एस.के.गौतम, तत्कालीन उपयंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवल्लोद एव श्री महेश प्रसाद शर्मा, सहायक वर्ग-1, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा को बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध मरम्मत के नाम पर अनियमितता के लिये जारी कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 31.08.2019 के उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध आरोप पत्रादि जारी कर विस्तृत विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य शासन एतद्वारा उक्त अपचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 18 के अंतर्गत संयुक्त विभागीय जांच संस्थित कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा को जांचकर्ता अधिकारी एवं यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रदीप कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन, विभाग  
भोपाल, दिनांक 23 / 07 /2020

पृ.क्रमांक एफ 16-10/2019/पी-2/31,  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. मुख्य अभियंता/ जांचकर्ता अधिकारी, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा की ओर संबंधित अपचारियों के विरुद्ध जारी आरोप पत्रादि की प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया जांच 45 दिवस में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा।
5. संबंधित श्री .....
6. उप सचिव, शाखा पी-1, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. वेब मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु अर्पित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन, विभाग